



भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

बेंगलूरु क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
BENGALURU REGIONAL OFFICE



एनबीएफसी-एन डी- टाइप-il

पंजीकरण प्रमाण पत्र

NBFC-ND-Type- II

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या बी-02.00075

No. B-02.00075

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदंबा माईमनी लिमिटेड को

(पूर्व में शाल्मला फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

KADAMBA MYMONEY LIMITED

(Formerly known as Shalmala Finance Limited) is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन फरवरी दो हज़ार उन्नीस की बारहवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Bengaluru
day of February Two Thousand Nineteen

(के एस ज्योत्स्रा /K S Jyotsna)

(দहা সুৰ্धक / ডি মুন্ সুৰ্धक) General Manager / Deputy General Manager



this

Twelfth

